Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 4, March-2019, ISSN 2230-7540

राष्ट्र की उन्नति में हिंदी भाषा का योगदान

Rajender Kumar*

Extension Lecturer Hindi, Govt. College, Hansi, Hisar

सारांश - हम कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं परंतु हमें अपनी मुख्यधारा से जुड़ा रहना जरूरी होता है। इसी तरह किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए वहां की भाषाओं से ओतप्रोत होना भी जरूरी होता है। राष्ट्रभाषा हिंदी इसी संदर्भ में हमें एक नए पद की ओर अग्रसर कर रही है। चाहे वह आजादी से पहले का समय हो या आजादी के बाद का समय। इसीलिए हमें हिंदी भाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम तथा संघर्ष करना पड़ता है। हमारी हिंदी भाषा भी कड़े संघर्ष के बाद वर्तमान स्थिति तक पहुंची है।

----------X----------

भूमिका

हिंदी भारत की स्वयं सिद्ध राष्ट्रभाषा है हिंदी भाषा बोलने वालो का प्रतिशत 65 से भी अधिक है। हमारी हिंदी भाषा की एक विशेषता यह भी है कि हमारे देश में रहने वाले भारतीय लोग किसी देश के रहने वाले ही क्यों न हो? चाहे उनकी कोई भी भाषा मातृभाषा हो, फिर भी वह हिंदी भाषा समझते हैं किसी न किसी रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग कर ही लेते हैं। हिंदी बहुत सहज-सरल भाषा है। हम हिंदी भाषा का प्रयोग किसी न किसी रूप में कर ही लेते हैं। हम अपने विद्यालय में या अपने मित्रों के साथ खेल के मैदान में हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। जब से मानव अस्तित्व में आया है तब से ही हिन्दी भाषा का प्रयोग कर रहा है। चाहे वह ध्वनि के रूप में हो या सांकेतिक रूप में या अन्य किसी भी रूप में हिंदी भाषा हमारे लिए बोलचाल का माध्यम होती है। इसके द्वारा हम अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, दूसरे लोगों के विचार को सुन सकते हैं। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज का निर्माण मनुष्य के सहयोग से होता है समाज में होते हुए भी मानव अपनी इच्छाओं या विचारों का आदान-प्रदान करता है। विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है या फिर हम यह कह सकते हैं कि जिन धर्मों द्वारा मनुष्य आसपास से विचार विनिमय करता है, उसे भाषा कहते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वार्थ ध्वनियों का समूह जो हमारी अभिव्यक्ति का साधन हो वह भाषा कहलाता है भाषा के साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल भाषा ध्वनि से व्यक्त नहीं की जा सकती संकेत और हावभाव से व्यक्त की जा सकती है। जैसे बोलते समय चेहरे की आकृति में परिवर्तन होना हस्त की उंगलियां हिलाना इस प्रकार भाषा राष्ट्र के लिए आवश्यक है। भाषा राष्ट्र की एकता अखंडता और विचार विकास के रूप में महत्वपूर्ण योग्यता निभाती है। यदि राष्ट्र को सशक्त बनाना है तो भाषा का होना जरूरी है और अब तक हम अपने देश में हिंदी भाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं। इससे धार्मिक और सांस्कृतिक एकता बढ़ सकती है। यह स्वतंत्र राष्ट्र के लिए आवश्यक है। देश की स्वतंत्रता से लेकर हिन्दी ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। भारत सरकार द्वारा विकास योजनाओं तथा नागरिक सेवाएं प्रदान करने में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदी तथा प्रांतीय भाषाओं के माध्यम से हम बेहतर जन सुविधाएं लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यह विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है जो हमारे पारम्परिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही ग्यारह राज्यों और तीन संघ शासित क्षेत्रों की भी प्रमुख राजभाषा है। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य इक्कीस भाषाओं के साथ हिंदी का एक विशेष स्थान है। देश में तकनीकी और आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ अंग्रेजी पूरे देश पर हावी होती जा रही है। हिन्दी देश की राजभाषा होने के बावजूद आज हर जगह अंग्रेजी का वर्चस्व कायम है। हिन्दी जानते हुए भी लोग हिन्दी में बोलने,

www.ignited.in

पढ़ने या काम करने में हिचकने लगे हैं। इसलिए सरकार का प्रयास है कि हिन्दी के प्रचलन के लिए उचित माहौल तैयार किया जा सके। राजभाषा हिंदी के विकास के लिए खासतौर से राजभाषा विभाग का गठन किया गया है। भारत सरकार का राजभाषा विभाग इस दिशा में प्रयासरत है कि केंद्र सरकार के अधीन कार्यालयों में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हो। इसी कड़ी में राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। 14 सितंबर, 1949 का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसी दिन संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस निर्णय को महत्व देने के लिए और हिन्दी के उपयोग को प्रचलित करने के लिए साल 1953 के उपरांत हर साल 14 सितंबर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है। 14 सिंतबर, 2017 को राजभाषा विभाग द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने देश भर के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों के प्रमुखों को राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, "हिन्दी अनुवाद की नहीं बल्कि संवाद की भाषा है।" किसी भी भाषा की तरह हिन्दी भी मौलिक सोच की भाषा है। हिंदी दिवस के अवसर पर सरकारी विभागों में हिंदी की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। साथ ही हिंदी प्रोत्साहन सप्ताह का आयोजन किया जाता है। हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक पुरस्कार योजनाएं शुरू की हैं। सरकार द्वारा हिंदी में अच्छे कार्य के लिए "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना" के अंतर्गत शील्ड प्रदान की जाती है। हिंदी में लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार का प्रावधान है। आधुनिक ज्ञान विज्ञान में हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए भी सरकार पुरस्कार प्रदान करती है। इन प्रोत्साहन योजनाओं से हिंदी के विस्तार को बढ़ावा मिल रहा है। देश की स्वतंत्रता से लेकर हिन्दी ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। भारत सरकार द्वारा विकास योजनाओं तथा नागरिक सेवाएं प्रदान करने में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदी तथा प्रांतीय भाषाओं के माध्यम से हम बेहतर जन सुविधाएं लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय द्वारा "विश्व हिंदी सम्मेलन" और अन्य अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से हिंदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का कार्य किया जा रहा है। भारतीय विचार और संस्कृति का वाहक होने का श्रेय हिन्दी को ही जाता है। भाषा का विकास उसके साहित्य पर निर्भर करता है। आज के तकनीकी के युग में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी हिंदी में काम को बढ़ावा देना चाहिए ताकि देश की प्रगति में ग्रामीण जनसंख्या सहित सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके लिए यह अनिवार्य है कि हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में तकनीकी ज्ञान से संबंधित साहित्य का सरल अनुवाद किया जाए। इसके लिए राजभाषा विभाग ने सरल हिंदी शब्दावली भी तैयार की है। राजभाषा विभाग द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन योजना के द्वारा हिंदी में ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकों के लेखन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे हमारे विद्यार्थियों को ज्ञान-विज्ञान संबंधी पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध होंगी। हिन्दी भाषा के माध्यम से शिक्षित युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें, इस दिशा में निरंतर प्रयास भी जरूरी है। भाषा वही जीवित रहती है जिसका प्रयोग जनता करती है। भारत में लोगों के बीच संवाद का सबसे बेहतर माध्यम हिन्दी है। इसलिए इसको एक-दूसरे में प्रचारित करना चाहिये। इस कारण हिन्दी दिवस के दिन उन सभी से निवेदन किया जाता है कि वे अपने बोलचाल की भाषा में भी हिंदी का ही उपयोग करें। हिंदी भाषा के प्रसार से पूरे देश में एकता की भावना और मजबूत होगी। धर्मध्समाज सुधार की प्रायः सभी संस्थाओं ने हिंदी के महत्त्व को भाँपा और हिंदी की हिमायत की। ब्रह्म समाज (1828 ई.) के संस्थापक राजा राममोहन राय ने कहा, इस समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। ब्रह्मसमाजी केशव चंद्र सेन ने 1875 ई. में एक लेख लिखा, भारतीय एकता कैसे हो, 'जिसमें उन्होंने लिखा' सारे भारत में एक ही भाषा का व्यवहार। अभी जितनी भाषाएँ भारत में प्रचलित हैं, उनमें हिंदी भाषा लगभग सभी जगह प्रचलित है। यह हिंदी अगर भारतवर्ष की एकमात्र भाषा बन जाए तो यह काम सहज ही और शीघ्र ही सम्पन्न हो सकता है। एक अन्य ब्रह्मसमाजी नवीन चंद्र राय ने पंजाब में हिंदी के विकास के लिए स्तुत्य योगदान दिया। आर्य समाज (1875 ई.) के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती गुजराती भाषी थे एवं गुजराती व संस्कृत के अच्छे जानकार थे। हिंदी का उन्हें सिर्फ कामचलाऊ ज्ञान था, पर अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए तथा देश की एकता को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपना सारा धार्मिक साहित्य हिंदी में ही लिखा। उनका कहना था कि हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। वे इस 'आर्यभाषा' को सर्वात्मना देशोन्नति का मुख्य आधार मानते थे। उन्होंने हिंदी के प्रयोग को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। वे कहते थे, 'मेरी आँखें उस दिन को देखना चाहती हैं, जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा समझने और बोलने लग जाएँगे। अरविन्द दर्शन के प्रणेता अरविन्द घोष की सलाह थी कि 'लोग अपनी-अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए सामान्य भाषा के रूप में हिंदी को ग्रहण करें।' 1875 ई. की संचालिका एनी बेसेंट ने कहा था, "भारतवर्ष के भिन्नदृभिन्न भागों में जो अनेक देशी भाषाएँ बोली जाती हैं,

www.ignited.in

उनमें एक भाषा ऐसी है जिसमें शेष सब भाषाओं की अपेक्षा एक भारी विशेषता है, वह यह कि उसका प्रचार सबसे अधिक है। वह भाषा हिंदी है। हिंदी जानने वाला आदमी सम्पूर्ण भारतवर्ष में यात्रा कर सकता है और उसे हर जगह हिंदी बोलने वाले मिल सकते हैं। भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए।'' हिन्दी को यह महत्व इसलिए नहीं दिया गया था कि वह सारी भारतीय भाषाओं में ऊँची है, बल्कि उसे 'राष्ट्रभाषा' इसलिए कहा और समझा जाता है कि हिन्दी को जानने, समझने और बोलने वाले देश के कोने-कोने में फैले हुए हैं। ये लोग चाहे हिन्दी न जानते हों, व्याकरण को भूला करते हों, अशुद्ध हिन्दी बोलते होंय परंतु बोलते हिन्दी ही हैं और उसी में अपने भाव व्यक्त करते एवं दूसरों की बात समझते हैं। वास्तव में हिन्दी की यह प्रकृति ही देश की एकता की परिचायक है और इस प्रकृति ने ही उसे इतना व्यापक रूप दिया है। वह केवल हिन्दुओं या कुछ मुट्ठी-भर लोगों की भाषा नहीं हैय वह तो देश के कोटि-कोटि कंठों की पुकार और उनका हृदयहार है। हिन्दी के सूत्र के सहारे कोई भी व्यक्ति देश के एक कोने से चलकर दूसरे कोने तक जा सकता है और अपना काम चला सकता है। देश में फैली हुई अनेक भाषाओं और संस्कृतियों के बीच यदि भारतीय जीवन की उदात्तता एवं एकात्मकता किसी एक भाषा में दिखाई देती है तो वह हिन्दी में ही है। चाहे सब लोग हिन्दी न जानते हों, लेकिन फिर भी इसके द्वारा वे अपना काम चला लेते हैं और उन्हें इसमें कोई कठिनाई नहीं होती। भारत की बहुभाषिकता के प्रश्न को उठाकर जो लोग हिन्दी को राष्ट्रभाषा के गौरवपूर्ण स्थान पर अधिष्ठित करने में रुकावट डाल रहें हैं, वे यह कैसे भूल जाते हैं कि आज विश्व के सर्वाधिक शक्ति-संपन्न देश रूस ने इस समस्या का किस प्रकार समाधान किया है। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि सोवियत-संघ में यद्यपि 66 भाषाएँ बोली तथा लिखी जाती हैं, किंतु फिर भी वहाँ की राष्ट्रभाषा रूसी ही है। सोवियत संघ की मंगोल और तुर्की भाषाओं के शब्दों का रूसी भाषा से कोई संबंध नहीं है। इसके विपरित यहाँ की दक्षिण की भाषाओं के प्रायः 60 प्रतिशत शब्द मिल जाते हैं। तमिल को हम अपवाद के रूप में रख सकते हैं, किंतु उसमें भी कुछ शब्द तो ऐसे मिल जी जाते हैं, जिन्हें भारत की दूसरी भाषाओं के बोलने वाले सरलता से समझ लेते हैं। हिंदी शब्द, जो कि हिन्दुस्तान में बोली जाती है। आज देश में जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, उन सबकी जननी हिंदी है। जिस भाषा को हम अपनी राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, आज उसका हाल भी संस्कृत की तरह हो गया है। जिस तरफ देखो उस तरफ अंग्रेजी से हिंदी और समस्त भारतीय भाषाओं को दबाया जा रहा है। देश की एकता और अखण्डता को बनाये रखनें में हिन्दी का अहम योगदान है। महात्मा गांधी हिन्दी भाषी नहीं थे लेकिन वे जानते थे कि हिन्दी ही देश की संपर्क भाषा बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त है। उन्हीं की प्रेरणा से राजगोपालाचारी ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का गठन किया था। देशभर में हिन्दी पढ़ना गौरव की बात मानी जाती थी।

संदर्भ सूची

पांचजन्य पत्रिका अंक 12 (1948)

विवेकानंद साहित्य नवम खंड

महात्मा गांधी (अनासक्ति योग)

विवेकानन्द साहित्य (नवम खण्ड)

राष्ट्र धर्म, वि.स. 2006, अंक 1

(पांचजन्य, 24 अगस्त, 1953)

जयराम संदेश वर्ष 3, अंक 8

Corresponding Author

Rajender Kumar*

Extension Lecturer Hindi, Govt. College, Hansi, Hisar